राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक : प.8(ग)(327)नियम/स्वाशा/1995/ 5944 दिनांक : 29-08-2007

:: अधिसूचना ::

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 38) की धारा 107 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह मत रखते हुए कि ऐसा करने के लिए समुचित कारण विद्यमान हैं, एतद्द्वारा राजस्थान राज्य के समस्त नगर निगमों, नगर परिषदों एवम् नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित निम्न प्रकार की भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र/तल क्षेत्रों को तुरन्त प्रभाव से उक्त अधिनियम की धारा 104 की उप धारा (1) के खण्ड (1) के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात :—

- 300 वर्गगज तक के समस्त स्वतन्त्र आवास एवम् उस पर बने फ्लेट;
- 300 वर्गगज तक के संस्थानिक व औद्योगिक परिसर;
- 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्र की भूमि पर बने 1500 वर्गफीट (Built Up Area) तक के आवासीय फ्लेट;
- राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 107 में छूट प्राप्त सम्पत्तियाँ;
- केवल धार्मिक (पूजा, अर्चना एवम् प्रार्थना आदि के) उपयोग की समस्त सार्वजनिक सम्पत्तियाँ (वाणिज्यिक उपयोग सहित) ।
- चेरिटेबल ट्रस्ट की समस्त सम्पत्तियाँ (वाणिज्यिक उपयोग सहित)।
- राज्य सरकार के विशेष आदेश द्वारा कर मुक्त की गई शैक्षणिक संस्थायें ।

उप शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राज0, जयपुर

Scanned with CamScanner

➢ 100 वर्गगज तक व्यावसायिक भूखण्ड जिनमें 900 वर्गफीट तक (Built Up Area) निर्माण हो; परन्तु 900 वर्गफीट से अधिक निर्मित क्षेत्र होने पर समस्त क्षेत्र पर कर देय होगा।

उप शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राज0, जयपुर

आज्ञा से

(ओ0 पी0 हर्ष)

उप शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राज0

क्रमांक : प.8(ग)(327)नियम/स्वाशा/1995/6345-6374 दिनांक : 29/08/2007

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजस्थान राजपत्र के भाग 6 (क) के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महो0 राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय शासन, राज0 जयपुर।
05. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
06. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
07. समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान।
08. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
09. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/ पालिकायें, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/ पालिकायें, राजस्थान।
11. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
12. सुरक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राज0, जयपुर

सहायक विधि परामर्शी

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक : प.8(ग)(327)नियम/स्वाशा/1995/5513 दिनांक :29-8-07

:: अधिसूचना ::

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 38) की धारा 104 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान राज्य की समस्त नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं द्वारा अपने क्षेत्रों में स्थित भूमि (कृषि भूमि के अतिरिक्त) या निर्मित क्षेत्र/तल क्षेत्रों पर तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार कर उद्गृहीत किया जावेगा : अर्थात्:—

कर का निर्धारण सम्पत्ति के वर्गीकरण के अनुसार निम्न सूत्रों के आधार पर किया जावेगा :—

➢ आवासीय इकाई पर कर निर्धारण:—

$$\frac{\text{भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज में)} \times \text{क्षेत्र की आवासीय डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)}}{2000}$$

➢ बहुमंजिला भवनों में फ्लेट हेतु कर की गणना तलक्षेत्र (Built up Area)के आधार पर निम्नानुसार की जावेगी :—

$$\frac{\text{तलक्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्गगज में)} \times \text{क्षेत्र की आवासीय डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)}}{2000}$$

उप शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राज0, जयपुर

Scanned with CamScanner

- संस्थानिक/औद्योगिक इकाई पर कर की गणनाः—

$$\frac{\text{भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (जो भी अधिक हो) का क्षेत्रफल (वर्गगज में)} \times \text{क्षेत्र की संस्थानिक/औद्योगिक डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)}}{2000}$$

- व्यावसायिक इकाई पर कर निर्धारण :—

$$\frac{\text{भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (जो भी अधिक हो) का क्षेत्रफल (वर्गगज में)} \times \text{क्षेत्र की व्यावसायिक डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)}}{2000}$$

- यह कर भूमि/निर्मित क्षेत्र के आधार पर तथा वार्षिक आधार पर इकाई आधार पर देय होगा।
- कर का निर्धारण सम्बन्धित क्षेत्र की डीएलसी दरों के आधार पर किया जावेगा।
- जिस क्षेत्र की औद्योगिक डीएलसी दरें तय नही है, उन क्षेत्रों के लिए निकटतम क्षेत्र की औद्योगिक दरें प्रभावी रहेंगी।
- करदाता द्वारा स्वयं कर का निर्धारण किया जा सकेगा।
- कर का निर्धारण सम्पत्ति के वास्तविक उपयोग के आधार पर किया जावेगा।
- कर का दायित्व स्वामित्व एवम् अधिवास के आधार पर होगा।
- स्वतन्त्र आवास में कर का निर्धारण भूमि के क्षेत्र के आधार पर किया जावेगा।
- फ्लेट पर कर का निर्धारण निर्मित क्षेत्र (Built up Area वर्गगजों में) के आधार पर किया जावेगा।

उप शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राज0, जयपुर

Scanned with CamScanner

- विभाजित सम्पत्तियों का कर निर्धारण उनके स्वामित्व के हिस्से को फ्लेट मानकर किया जावेगा।
- वाणिज्यिक/औद्योगिक/संस्थानिक परिसरों में भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (गजों में) जो भी अधिक हों, के आधार पर कर की गणना की जावेगी।
- ऐसे वाणिज्यिक/औद्योगिक परिसर जहॉ एक से अधिक स्वामित्व की सम्पत्तियॉ हो, उनके निर्मित क्षेत्र (Built up Area वर्गगजों में) के आधार पर कर की गणना की जावेगी।
- 100 वर्गगज से अधिक के व्यावसायिक भूखण्डों पर भिन्न–भिन्न स्वामित्व के निर्मित क्षेत्र (Built up Area) के आधार पर पृथक–पृथक कर निर्धारण किया जावेगा।
- 300 वर्गगज क्षेत्र से अधिक की औद्योगिक उपयोग की सम्पत्तियों पर भिन्न–भिन्न स्वामित्व के निर्मित क्षेत्र (Built up Area) के आधार पर पृथक–पृथक कर निर्धारण किया जावेगा।
- बजट होटल, 1, 2 व 3 स्टार होटलों तथा गेस्ट हाउसों पर औद्योगिक दरें प्रभावी होंगी।
- केन्द्र सरकार की व्यावसायिक उपयोग में आ रही सम्पत्तियों पर भी कर लागू होगा।
- यह कर समस्त निजी स्वामित्व की सम्पत्तियों, सार्वजनिक उपक्रमों, मण्डलों, निगमों इत्यादि पर लागू होगा।

उप शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राज0, जयपुर

आज्ञा से

(अशोक ....)
उप शासन सचिव

क्रमांक : प.8(ग)(327)नियम/स्वाशा/1995/5514-5943 दिनांक 29-8-07

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजस्थान राजपत्र के भाग 6 (क) के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।

Scanned with CamScanner

02. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महो0 राज0 जयपुर।

03. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।

04. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय शासन, राज0 जयपुर।

05. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।

06. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।

07. समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान।

08. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।

09. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/ पालिकायें, राजस्थान।

10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/ पालिकायें, राजस्थान।

11. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।

12. सुरक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग
राज0 जयपुर

सहायक विधि परामर्शी

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

प.8(ग)(3)नियम/डीएलबी/10/ 9356 जयपुर दिनांक 24/8/2016

अधिसूचना

स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना संख्या प.8(ग)(327)नियम/स्वा.शा./1995/5513 दिनांक 29.08.2007 एवं नगरीय विकास कर के संबंध में समय-समय पर जारी समस्त आदेशो/परिपत्रो को अतिकमित करते हुए,राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का राजस्थान अधिनियम संख्या 18) की धारा 102 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान राज्य की समस्त नगर निगमो, नगर परिषदों तथा नगरपालिकाओं द्वारा अपने क्षेत्रों में स्थित भूमि (कृषि भूमि के अतिरिक्त except agriculture land) या निर्मित क्षेत्र/तल क्षेत्रों पर तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार कर उद्गृहीत किया जावेगा,:-

1. कर का निर्धारण सम्पत्ति के वर्गीकरण के अनुसार निम्न सूत्रो के आधार पर किया जावेगा:-

(अ)-आवासीय इकाई पर कर निर्धारण:-

$$\frac{\text{भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज में)} \times \text{क्षेत्र की आवासीय डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)}}{2000}$$

(ब)-बहुमंजिला भवनो मे फ्लेट हेतु कर की गणना निर्मित तलक्षेत्र (**Built up floor Area**) के आधार पर निम्नानुसार की जावेगी:-

$$\frac{\text{तल क्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्गगज में)} \times \text{क्षेत्र की आवासीय डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)}}{2000}$$

(स)- संस्थानिक/औद्योगिक इकाई पर कर की गणना:-

$$\frac{\text{भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (जो भी अधिक हो) का क्षेत्रफल (वर्गगज में)} \times \text{क्षेत्र की संस्थानिक/औद्योगिक डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)}}{2000}$$

(द)- व्यावसायिक इकाई पर कर निर्धारण :-

$$\frac{\text{भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (जो भी अधिक हो) का क्षेत्रफल (वर्गगज में)} \times \text{क्षेत्र की व्यावसायिक डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)}}{2000}$$

d:\sunil rai sir\urban development tax adhisuchana 2016.doc

Scanned with CamScanner

2. नगरीय विकास कर भूमि /निर्मित भवन के क्षेत्र पर, वार्षिक आधार पर एवं इकाई आधार पर निम्नानुसार देय होगा:–

i. कर का निर्धारण सम्बन्धित क्षेत्र की 1 अप्रेल को प्रभावी डीएलसी दरों के आधार पर किया जावेगा।

ii. जिस क्षेत्र की औद्योगिक डीएलसी दरें तय नहीं है, उन क्षेत्रों के लिए निकटतम क्षेत्र की औद्योगिक दरें प्रभावी रहेंगी।

iii. करदाता द्वारा स्वयं कर का स्व निर्धारण किया जा सकेगा।

iv. कर का निर्धारण सम्पत्ति के वास्तविक उपयोग के आधार पर किया जावेगा। आवंटन चाहे किसी भी उपयोग के लिये हो।

v. कर का दायित्व स्वामित्व एवम् अधिवास के आधार पर होगा।

vi. स्वतन्त्र आवास में कर का निर्धारण भूमि के क्षेत्र के आधार पर किया जावेगा।

vii. फ्लेट पर कर निर्धारण निर्मित क्षेत्र (Built up Area वर्गगजों में) के आधार पर किया जावेगा।

viii. विभाजित सम्पत्तियों का कर निर्धारण उनके स्वामित्व के हिस्से को फ्लेट मानकर किया जावेगा।

ix. वाणिज्यिक/औद्योगिक /संस्थानिक परिसरो में भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (गजो में) जो भी अधिक हो के आधार पर कर की गणना की जावेगी।

x. ऐसे आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक परिसर जहां एक से अधिक स्वामित्व की सम्पत्ति हो, उनके पृथक–पृथक निर्मित क्षेत्र (Built up Area वर्गगजो में) के आधार पर कर की गणना की जावेगी।

xi. 100 वर्गगज से अधिक के व्यावसायिक भूखण्डो पर भिन्न–भिन्न स्वामित्व के निर्मित क्षेत्र (Built up Area), के आधार पर पृथक–पृथक कर निर्धारिण किया जावेगा।

xii. 300 वर्गगज क्षेत्र से अधिक की औद्योगिक उपयोग की सम्पत्तियों पर भिन्न–भिन्न स्वामित्व के निर्मित क्षेत्र (Built up Area) के आधार पर पृथक–पृथक कर निर्धारण किया जावेगा।

xiii. केन्द्र सरकार की व्यावसायिक उपयोग में आ रही सम्पत्तियों पर भी कर लागू होगा।

xiv. यह कर समस्त निजी स्वामित्व की सम्पत्तियों, सार्वजनिक उपक्रमों, मण्डलों, निगमों इत्यादि पर लागू होगा।

3. 300 वर्गगज तक के आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक भूखण्ड जिन पर आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक निर्माण के अतिरिक्त 900 वर्गफूट से कम का व्यावसायिक निर्माण है, कर मूक्त रहेगे। परन्तु उक्त श्रेणी के भूखण्डो में 900 वर्गफूट से अधिक का व्यावसायिक उपयोग होने की स्थिति में व्यावसायिक उपयोग में लिये जा रहे सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र पर व्यावसायिक दर से कर देय होगा।

4. 300 वर्गगज से अधिक के आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक उपयोग के भूखण्ड जिन पर व्यावसायिक निर्माण 900 वर्गफीट से कम है, के मामलो में केवल आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक दर से ही कर देय होगा। लेकिन व्यावसायिक निर्माण 900 वर्गफीट से अधिक होने की स्थिति में भूखण्ड के लिये आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक दर से कर वसूल किये जाने के साथ–साथ समस्त व्यावसायिक उपयोग के क्षेत्र पर व्यावसायिक दर से कर देय होगा।

Scanned with CamScanner

5. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 120 के अनुरूप भूमि, भवन स्वामी अथवा उस सम्पत्ति के वास्तविक अधिभोगी/किरायेदार भी नगरीय विकास कर जमा कराने का दायी होगा एवं किसी परिसर में एक से अधिक यूनिट होने पर केवल उन्हीं यूनिटो के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिन्होने कर का भुगतान नहीं किया है।

6. भूखण्ड पर रिहायशी परिसर/कोमर्शियल कॉम्पलेक्स के निर्मित होने के पश्चात् उक्त रिहायशी परिसर/कोमर्शियल कॉम्पलेक्स के संबंधित केताओं से (भिन्न–भिन्न स्वामित्व) के निर्मित क्षेत्र (Built up Area) के आधार पर पृथक–पृथक कर निर्धारण किया जायेगा तथा केता पृथक–पृथक नगरीय विकास कर जमा कराने का दायी होगा।

7. ऐसे भूखण्ड जिन पर आवासीय/व्यावसायिक/औद्योगिक प्रयोजन हेतु अलग–अलग यूनिटो के रूप में निर्माण कर लिया गया है तो ऐसे परिसरो में विकय की गई यूनिटो की सूची भू–स्वामी द्वारा संबंधित निकाय को प्रस्तुत करने पर अलग–अलग यूनिट का कर निर्धारण फ्लोर वाईज प्रभावी डीएलसी दर के अनुरूप निकाय द्वारा किया जायेगा।

8.

(i). भूमि के स्वामी/अधिवासी द्वारा कर का स्वयं निर्धारण करते हुए नगर पालिका के काउन्टर अथवा ऑन लाईन सीधे ही राशि जमा कराई जाकर जमा राशि का दस्तावेज संबंधित नगर पालिका में प्रस्तुत किया जावेगा।

(ii). जिन कर देयता सम्पत्तियों का स्वःनिर्धारण से कर जमा नहीं हुआ हो तो उनको चिन्हित करने के लिये सर्वे करवाया जावेगा। संबंधित नगर पालिका का मुख्य नगरपालिका अधिकारी, कर निर्धारक अथवा मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा इस निमित्त अधिकृत अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर प्रतिवर्ष कम से कम 5 प्रतिशत मामलों मे जॉच करेगा और जॉच मे स्वः कर निर्धारण से अधिक कर देय होना पाया जाने पर सम्पूर्ण देय कर की राशि से अतिरिक्त राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 115 के अर्न्तगत पैनेल्टी के रूप में राशि वसूलनीय होगी।

(iii). बजट होटल व 1,2 व 3 स्टार होटलो पर निर्मित क्षेत्रफल पर औद्योगिक दर प्रभावी होगी जबकि 4 व 5 स्टार होटलो हेतु निर्मित क्षेत्रफल पर कर की दर औद्योगिक कर का दुगना होगी किन्तु सभी श्रेणी के होटलों में खाली भूमि पर औद्योगिक दर का 50 प्रतिशत देय होगा।

(iv). हेरिटेज होटल/सम्पत्तियो पर कर की गणना निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर औद्योगिक दर के बराबर मान कर, की जायेगी तथा उक्त सम्पत्तियो पर स्थित खाली भूमि पर कोई कर देय नही होगा।

(v). पंजीकृत मनोरंजन क्लब के निर्मित क्षेत्रफल पर संस्थानिक दर प्रभावी होगी किन्तु खाली भूमि पर संस्थानिक दर का 50 प्रतिशत कर देय होगा।

पंजीकृत क्लब से आशय ऐसे क्लबो से है जो अपने सदस्यों के सामाजिक कार्यकमो एवं क्लब के उददेश्य अनुसार क्लब की सम्पत्ति को उपयोग में लेते है तथा ऐसे क्लब व्यावसायिक उपयोग नहीं करते है।

Scanned with CamScanner

(vi). समस्त शैक्षणिक संस्थान एवं समस्त अस्पताल (चिकित्सालय), डाइग्नोस्टिक सेन्टर एवं रोग निदान केन्द्र के केवल निर्मित क्षेत्रफल पर ही कर की गणना संस्थानिक दर के आधार पर की जावेगी।

(vii). धर्मशाला/सराय/मुसाफिरखाना पर आवासीय दर का (बीस) 20 प्रतिशत नगरीय विकास कर देय होगा।

(viii). रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित समस्त प्रकार की ईकाईयां पर नगरीय विकास कर देय नहीं होगा। परन्तु ऐसे भूखण्ड जिन पर व्यावसायिक परिसर, शौरूम, दुकान, सिनेमा, मल्टिप्लेक्स, शैक्षणिक, आवासीय परिसर, निर्मित कर लिये गये है तो उन पर उपयोग के अनुसार नगरीय विकास कर देय होगा।

(ix). प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 1 अप्रेल को प्रभावी डी.एल.सी दर के आधार पर ही पूरे वर्ष का कर निर्धारण किया जायेगा। डीएलसी दर में 1 अप्रेल के पश्चात् परिवर्तन होने पर भी 1 अप्रेल को प्रभावी दर ही लागू रहेगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वर्ष के प्रारम्भ में 1 अप्रेल को नगरीय विकास कर देय हो जायेगा। उक्त कर नगरीय निकाय में जमा कराने की प्रकिया निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:—

(क) 1 अप्रैल से 30 जून तक कर जमा करवाने पर देय कर में 10 प्रतिशत एवं 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। करदाता स्वयं के स्तर से देय कर में से उपरोक्त छूट राशि कम करते हुए जमा करा सकेगें। 30 सितम्बर के पश्चात् कोई छूट देय नहीं होगी।

(ख) ऐसी सम्पत्तियां जिनका स्वामित्व महिलाओं के नाम पर है उन्हे कर में 10 प्रतिशत की विशेष छूट दी जावेगी। यह छूट अवधि पूर्व (30 सितम्बर तक) जमा कराये जाने वाली कर राशि की छूट से अतिरिक्त होगी।

(ग) 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक कर जमा कराने पर उक्त कर में कोई छूट देय नही होगी।

(घ) 31 मार्च तक उक्त कर की राशि जमा नही कराने पर राजस्थान नगरपालिका नगरीय विकास कर नियम, 2016 के अनुसार शास्ती वसूलनीय होगी।

(x). नगरीय भूमि व भवनों पर कर के निर्धारण हेतु किसी भी भूमि/भवन के उपयोग (आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत, औधोगिक) का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा। निम्नांकित सूची केवल भूमि एवं भवन की प्रकृति निर्धारण एवं कर निर्धारण के उपयोग हेतु ही मान्य होगी। विभिन्न गतिविधियों एवं उपयोग के आधार पर भवन एवं भूमि पर कर निर्धारण हेतु भूमि एवं भवनों की प्रकृति निर्धारण हेतु सूचि:—

भवनों की प्रकृति	गतिविधियां एवं उपयोग
आवासीय	फार्म हाऊस, स्वतंत्र आवास/फ्लेटस/ग्रुप हाउसिंग एवं ऐसे समस्त परिसर जिन्हे केवल आवासीय प्रयोग में लिया जा रहा है तथा गेस्ट हाऊस/पैइंग गैस्ट/होस्टल
व्यावसायिक	ऐसे समस्त परिसर जिनमें व्यावसायिक गतिविधि संचालित है जिसमें सभी प्रकार की थोक एवं खुदरा दुकाने/शौरूम/गौदाम/वर्कशॉप/सिनेमा/मल्टिप्लेक्स व अन्य व्यापार, व्यावसायिक उपयोग के स्थल एवं रेस्टोरेन्ट, कैफेटेरिया, बार एवं बैंकेट हॉल जो होटल परिसर में संचालित नहीं है मैरिजगार्डन,

Scanned with CamScanner

संस्थानिक भवन	समस्त शैक्षणिक संस्थान, समस्त अस्पताल (चिकित्सालय) एवं रोग निदान केन्द्र, संग्रहालय, कला दीर्घा प्लेनेटोरियम, महिला सदन, विभिन्न समाज/समुदाय द्वारा संचालित एवं राजस्थान आवासन मण्डल, प्राधिकरण, नगर विकास न्यास द्वारा संचालित सामुदायिक केन्द्र, स्थायी व्यापार मेला भूमि, योग एवं साधना केन्द्र, प्राकृतिक चिकित्सालय, सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्र, टेलीफोन एक्सचेंज, डाकघर, तारघर, निजी कोरियर सेवा, दूरदर्शन केन्द्र, आकाशवाणी, दूरसंचार टावर एवं स्टेशन, गैस बुकिंग/सप्लाई स्थान, मनोरंजन क्लब, धर्मशाला, कोचिंग सेन्टर, भारत सरकार/राज्य सरकार की परिसम्पत्तियां एवं इनके अधीन समस्त सार्वजनिक उपक्रम/कम्पनीयां/निगम /बोर्ड के कार्यालय/आवास/गोदाम एवं अन्य परिसम्पत्तियां
औद्योगिक	समस्त प्रकार के उद्योग जो औद्योगिक प्रकिया से जुडे हुये है एवं राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग में औद्योगिक इकाई के रूप में रजिस्टर्ड है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के होटल एवं होटल परिसर में संचालित रेस्टोरेन्ट, केफेटेरिया, बैंकेट-हॉल भी शामिल है।

(xi). नगरीय निकाय उक्त कर की वसूली स्वयं अपने संसाधनों से कर सकेगे अथवा किसी ऐजेन्सी को रिकार्ड संधारित करने, प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर संशोधित करने, रिकार्ड कम्प्यूटराईज करने, मांग पत्र जारी करने, सर्वे करने एवं अन्य संबंधित कार्य नगर पालिका के अधीन रहते हुए किये जाने के लिये अधिकृत कर सकेगी।

(xii). कर दाता सीधे ही नगरीय निकायों को उक्त कर अदा कर सकेगा तथा कर की अदायगी को सुविधाजनक बनाये जाने के लिये नगरीय निकाय यथा सम्भव क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट, बैंक खाता ऑन लाईन जमा कराने की प्रक्रिया इत्यादि साधनों से राशि अदा किये जाने के संबंध में प्रावधित करेगी। नगरीय विकास कर सभी नगरीय निकायों द्वारा वसूल किया जाना अनिवार्य होगा।

(xiii). नगरीय विकास कर की देयता भूमि का स्वामित्व अथवा भू-उपयोग निर्धारित नहीं करती है। यह कर मौके पर भूमि के वास्तविक उपयोग के आधार पर देय है।

(xiv). नगरीय विकास कर की गणना भूमि/भवन के उपयोग के आधार पर की जाती है। यदि भूमि/भवनों के प्रकृति एवं उपयोग की श्रेणी के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उक्त विवाद का अन्तिम विनिश्चय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जायेगा।

उक्त अधिसूचना 1 अप्रेल, 2016 से प्रभावी होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

प. 8(ग)(3)नियम/डीएलबी/10/ 3357-9826 जयपुर दिनांक 24|3|2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

d:\urd\... development tax adhisuchana 2016.doc

Scanned with CamScanner

03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान
06. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज0
07. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
09. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
10. सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु
11. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
12. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

प.8(ग)(3)नियम/डीएलबी/10/ 8884 जयपुर दिनांक 24/8/2016

अधिसूचना

स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना संख्या प.8(ग)(327)नियम/स्वा.शा./1995/5944 दिनांक 29.08.2007 को अतिक्रमित करते हुए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का राजस्थान अधिनियम संख्या 18) की धारा 107 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह मत रखते हुए कि ऐसा करने के लिए समुचित कारण विद्यमान है, एतदद्वारा राजस्थान राज्य के समस्त नगर निगम, नगर परिषदों एवम् नगर पालिकाओं क्षेत्रों में स्थित निम्न प्रकार की भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र/तल क्षेत्रों को तुरन्त प्रभाव से उक्त अधिनियम की धारा 102 उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात :–

1. 300 वर्गगज तक के समस्त स्वतन्त्र आवास एवम् उस पर बने फ्लेट,
2. 300 वर्गगज तक के संस्थानिक व औद्योगिक परिसर,
3. 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्र की भूमि पर निर्मित 1500 वर्गफीट (Built up Area) तक के आवासीय फ्लेट।
4. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107 में छूट प्राप्त सम्पत्तियां,
5. केवल धार्मिक (पूजा, अर्चना एवं प्रार्थना आदि के) उपयोग की समस्त सार्वजनिक सम्पत्तियां (वाणिज्यिक उपयोग सहित)।
6. निम्नलिखित प्रयोजन हेतु उपयोग में आ रही भूमि/भवन :–
   (i) अनाथ सेवा आश्रम, वृद्ध आश्रम, पेशनर्स रेस्ट हाउस, महिला आश्रम।
   (ii) अपाहिज, अपंग, मूक–बधिर, अंध विघालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र व ऐसे व्यक्तियो द्वारा संचालित रोजगार केन्द्र।
   (iii) गोशाला, कुष्ठ आश्रम, प्राकृतिक चिकित्सालय एवं योग साधना केन्द्र रैन बसेरा आदि
   (iv) सार्वजनिक जल केन्द्र, (प्याउ) सार्वजनिक मूत्रालय एवं शौचालय
   (v) प्रेसक्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, रिडिंग रूम (सार्वजनिक वाचनालय)
7. राज्य सरकार के विशेष आदेश द्वारा कर मुक्त की गई शैक्षणिक संस्थाऐ
8. 100 वर्गगज तक व्यावसायिक भू–खण्ड जिनमें 900 वर्गफीट तक (Built up Area) निर्माण हो, परन्तु 900 वर्गफीट से अधिक निर्मित क्षेत्र होने पर समस्त क्षेत्र पर कर देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

प. 8(ग)(3)नियम/डीएलबी/10/8885–9355 जयपुर दिनांक 24/8/2016
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर

Scanned with CamScanner

02. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान
06. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजसथान।
07. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
09. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
10. सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु
11. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
12. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
13. अधीक्षक, केन्दीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Scanned with CamScanner

नगर निगम हैरिटेज एवं ग्रेटर, जयपुर

प्रारूप - III

[नियम 5 (1) देखिए]

नगरीय विकास कर के स्व-निर्धारण के लिए प्रपत्र

प्रेषिती,

उपायुक्त ....

जोन ....

नगर निगम हैरिटेज एवं ग्रेटर, जयपुर

कार्यालय उपयोग हेतु	
प्राप्ति की तारीख	....
जमा राशि रू.	....
रसीद सं.	....
रसीद दिनांक	....
लिपिक के हस्ताक्षर	....

भाग - 1
(सामान्य सूचना)

1. वित्तीय वर्ष, जिससे कर संबंधित है
2. (क) भवन और भूमि के स्वामी/अधिभोगी का नाम

   (ख) पिता/पति का नाम :-

   (ग) वृति :- सेवा/कारोबार/गृहिणी/अन्य :-

   (घ) आयु (वर्षों में)

   (य) दूरभाष सं. :- कार्यालय ____ निवास ____ फैक्स ____

   (र) वर्तमान पता/डाक का पता ....

   ....

   ....

3. भवन और भूमि का पता :-

i वार्ड सं.	
ii मौहल्ले/कॉलोनी का नाम	
iii प्लाट/गृह/दुकान सं.	
iv व्यवसायिक कॉम्पलेक्स/बहुमंजिला भवन का नाम	
v मार्ग का नाम	
vi सेक्टर नम्बर (यदि हो तो)	
vii शहर का नाम व पिन कोड सं.	

4. पिछले वर्ष के जमा कर की विशिष्टयाँ :-

   i गत निर्धारण वर्ष ....

   ii उस वर्ष का निर्धारित कर ....

   iii जमा कर का विवरण ....
   (रसीद सं. एवं जमा तिथि)

Scanned with CamScanner

5. भवन और भूमि विशिष्टियाँ :-

1. (क) कुल क्षेत्र (Plot Area) (वर्ग गज में)

(ख) खाली क्षेत्र (Vacant Area) (वर्ग गज में)

(ग) निर्मित क्षेत्र (Plinth Area) (वर्ग गज में)

(घ) कुल निर्मित क्षेत्र (Total Built up Area)......................(वर्ग फुट)।..........................(वर्ग गजों में)

(ड) निर्मित तल/मंजिलों की संख्या

2. भूमि और भवन का तल वार उपयोग व क्षेत्र का विवरण

भूमि का उपयोग	तल क्षेत्र का ब्यौरा (वर्ग फुट में)								
	तहखाना	भूतल	प्रथम तल	द्वितीय तल	तृतीय तल			कुल (वर्गफुट)	कुल (वर्गगज)
आवासीय									
वाणिज्यिक									
संस्थागत									
औद्योगिक									
विविध									

भाग – 3

6. कर का निर्धारण :-

क्र. सं.	विवरण	क्षेत्रफल (वर्गगज)	डी.एल.सी. दर रू.	देय कर रू. क्षेत्रफल (व. गजों में) X डीएलसी दर/2000	कुल देय कर रू.
1	2	3	4	5	6
1	निर्मित क्षेत्र (वर्गगज) क. (आवासीय)				
	ख. (वाणिज्यिक)				
	ग. (संस्थागत)				
	घ. (औद्योगिक)				
2	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गगज) (बहुमंजिला आवासीय एवं व्यवसायिक कॉम्पलेक्स के लिए लागू नहीं)				
	कुल				

7. जमा राशि विवरण :-

रसीद सं. .... दिनांक................................. जमा राशि रू. ....

टिप्पणी :-

1. स्वामी/अधिभोगी द्वारा उसके स्वामित्व वाली या अधिभोग की प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक-पृथक स्व-निर्धारण प्रपत्र प्रतिवर्ष भरा जायेगा।
2. स्वामी/अधिभोगी स्व-निर्धारण प्रपत्र भरने के पूर्व राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 104 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का अध्ययन करेगा।
3. यदि भूमि या भवन का उपयोग एक से अधिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है तो प्रत्येक प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने वाले भाग को भाग-3 में उपदर्शित किया जाना चाहिए।
4. पूर्ण खाली भूखण्ड के क्षेत्र पर कर की दर की गणना, भूमि के अधिकृत उपयोग अथवा वास्तविक उपयोग दोनों में से जिस पर अधिक होगी, के आधार पर होगी।
5. मिश्रित उपयोग की सम्पत्ति या भिन्न-भिन्न उपयोग की सम्पत्ति पर कर के दर की गणना वास्तविक उपयोग के आधार पर एक इकाई मानते हुए की जावेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम.......................................)

स्वामी/अधिभोगी/प्राधिकृत प्रतिनिधि

Scanned with CamScanner

1101
4/4/2008

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

सत्यमेव जयते

अग्रहायण 1, गुरुवार, शाके 1929–नवम्बर 22, 2007
Agrahayana 1, Thursday, Saka 1929–November 22, 2007

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 29, 2007

संख्या एफ.8(जी)(327)रूल्स/एल.एस.जी./95/6275:– राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959(1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 38) की धारा 104 के साथ पठित धारा 297 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :–(1) इन नियमों का नाम राजस्थान नगरपालिका (नगरीय विकास कर) नियम, 2007 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :–(1) इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 38) अभिप्रेत है;

(ख) "अभिकर्ता" से किसी भी भवन या भूमि या दोनों के स्वामी या अधिभोगी द्वारा उसकी ओर से कार्य करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "कर–निर्धारक" से धारा 114 के अधीन नियुक्त कोई कर–निर्धारक अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ङ) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" से धारा 117 की उप–धारा (2) में निर्दिष्ट ऐसा कोई भी प्राधिकारी या अधिकारी अभिप्रेत है जिसको उस धारा की उप–धारा (1) के अधीन आक्षेप पेश किये जा सकेंगे ;

Scanned with CamScanner

(च) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;

(छ) "नगरीय विकास कर" या "कर" से अधिनियम की धारा 104 के अधीन भवन या भूमि या दोनों पर अधिरोपित कर अभिप्रेत है ; और

(ज) "वर्ष" से अप्रेल के प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाला ऐसा वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है जिससे कर सम्बन्धित है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हे समनुदेशित किया गया है।

3. कर का उद्ग्रहण.– किसी नगरपालिक क्षेत्र में कर, अधिनियम की धारा 104 के अधीन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गयी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर और तारीख से उद्ग्रहणीय होगा।

4. कर-निर्धारण सूची का तैयार किया जाना .–(1) कर उद्गृहीत करने के प्रयोजन के लिए कर-निर्धारण सूची प्ररूप-1 में वार्डवार/सर्किलवार/क्षेत्रवार तैयार की जायेगी।

(2) किसी भवन या भूमि या दोनो के संबध में संदेय कर की रकम का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कर-निर्धारक,–

(क) किसी भवन या भूमि या दोनों का निरीक्षण तथा माप करने के लिए उस पर या उसमें प्रवेश कर सकेगा ; और

(ख) यदि आवश्यक हो तो पड़ौस में रहने वाले व्यक्तियों से पूछताछ कर सकेगा और ऐसे भवन या भूमि या दोनों के संबंध में नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के पूर्व अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा।

(3) जब कर के संदाय के लिए मुख्य रूप से दायी व्यक्ति का नाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सके तो कर निर्धारण सूची में और किसी भी ऐसे नोटिस में, जो उस पर तामील करना आवश्यक हो, किसी और वर्णन के बिना, उसे भवन या भूमि के धारक के रुप में अभिहित करना पर्याप्त होगा।

Scanned with CamScanner

(4) जहां किसी भी भवन या भूमि या दोनों में, जो सम्पूर्ण रूप से कर के संदाय के दायित्वाधीन हैं, पृथक्-पृथक् वासगृह हों वहां कर-निर्धारक, ऐसे किसी भी वासगृह के स्वामी द्वारा निवेदन करने पर, ऐसे प्रत्येक वासगृह के लिए पृथक्-पृथक् कर अवधारित कर सकेगा और उसके संबंध में संदेय कर की रकम का निर्धारण करेगा।

5. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा नोटिस, स्व-निर्धारण विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना और कर का निक्षेप:-(1) नगरपालिका का आयुक्त/अधिशासी अधिकारी भवन या भूमि या दोनों के स्वामियों/अधिभोगीयों से प्ररूप-3 में स्व-निर्धारण विवरणियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए प्ररूप-2 में सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा । ऐसा नोटिस नगरपालिका के कार्यालय के सूचना-पट्ट पर लगाया जायेगा।

(2) अधिनियम की धारा 104 की उप-धारा (1) में खण्ड (1) के अधीन कर का संदाय करने का दायी व्यक्ति उसके द्वारा संदेय कर का निर्धारण करेगा और नगरपालिका के बैंक खाते में या नगरपालिका के कार्यालय में कर का निक्षेप करेगा। कर का निक्षेप करने के पश्चात निक्षिप्त कर के चालान या रसीद की प्रति के साथ प्ररूप-3 में सम्यक् रूप से और सही तौर पर भरी गयी स्व-निर्धारण विवरणी उसके द्वारा नगरपालिका के कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।

(3) यदि स्वामी/अधिभोगी, उप-नियम (1) के अधीन यथा-अपेक्षित सही स्व-निर्धारण विवरणी प्रस्तुत नही करता है या स्व-निर्धारण विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/कर-निर्धारक या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी,-

(क) किसी भी भवन या भूमि या दोनों का निरीक्षण तथा माप करने के लिए उस पर या उसमें प्रवेश करेगा ;

(ख) यदि आवश्यक हो तो पड़ौस में रहने वाले व्यक्तियों से पूछताछ करेगा और ऐसे भवन या भूमि या दोनों के संबंध में नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के पूर्व अभिलेख की परीक्षा करेगा ; और

(ग) कर का निर्धारण करेगा और जैसी भी स्थति हो व्यतिक्रमी से उसकी वसूली करेगा।

Scanned with CamScanner

(4) कर के स्व–निर्धारण विवरणी के पांच प्रतिशत मामलों की जांच/परीक्षा आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/कर–निर्धारक या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जायेगी।

6. कर का संदाय, रिबेट और शास्ति:–कर अग्रिम रूप से संदेय होगा और वर्ष, जिससे कर संबंधित है, के छह मास के भीतर संदत्त किया जायेगा। प्रति मास एक प्रतिशत की शास्ति वर्ष की शेष कालावधि के लिए शोध्य रकम पर संदेय होगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सम्पूर्ण वर्ष या उसके भाग के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त शास्ति शोध्य रकम पर उद्ग्रहीत की जायेगी।

7. नये भवनों इत्यादि का विवरण:– प्रत्येक कर–निर्धारक, या आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी, आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/कर निर्धारक को क्षेत्र के भीतर के ऐसे भवन या भूमि, जिनका हाल में संनिर्माण या पुनः संनिर्माण या विस्तार किया गया है या संपरिपर्वन या विकास किया गया है, दर्शित करते हुए आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/कर–निर्धारक को ऐसे भवन या भूमि या दोनों पर कर निर्धारित या पुनःनिर्धारित करने में समर्थ बनाने के लिए अर्द्धवार्षिक विवरण पेश करेगा।

8. कर–निर्धारण का प्रकाशन और पुनरीक्षण:– (1) धारा 116 और 117–

(1) के अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित सार्वजनिक नोटिस प्ररूप–4 में होगा।

(2) धारा 117 की उप–धारा (3) के अधीन कर–निर्धारक द्वारा रखा जाने वाला कर के आक्षेपों का रजिस्टर प्ररूप–5 में होगा।

(3) धारा 117 की उप–धारा (6) के अधीन प्रकाशित किये जाने के लिए अपेक्षित सार्वजनिक नोटिस प्ररूप–6 में होगा।

(4) पुनरीक्षण प्राधिकारी का विनिश्चय स्वामी/अधिभोगी को आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/कर–निर्धारक या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संसूचित किया जायेगा।

9. निरसन और व्यावृतियां:– राजस्थान नगरपालिका (भवन कर) नियम, 2003 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु ऐसा निरसन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गयी किसी भी बात या किसी भी कार्यवाही या अर्जित या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, दी गयी किसी शास्ति, समपहरण या किये गये किसी अन्वेषण या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि इस प्रकार निरसित नियम इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व शोध्य कर की वसूली के संबंध में प्रवृत्त बने रहेंगे।

Scanned with CamScanner

462 ... 10-9-07 172

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

सत्यमेव जयते

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

भाद्र 12, सोमवार, शाके 1929—सितम्बर 3, 2007
Bhadra 12, Monday, Saka 1929—September 3, 2007

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

अधिसूचनाएं

जयपुर, अगस्त 29, 2007

संख्या प.8(ग)(327)नियम/स्वाशा/1995/5513:—राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 38) की धारा 104 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान राज्य की समस्त नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगरपालिकाओं द्वारा अपने क्षेत्रों में स्थित भूमि (कृषि भूमि के अतिरिक्त) या निर्मित क्षेत्र/तल क्षेत्रों पर तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार कर उद्‌गृहीत किया जावेगा, अर्थात् :—

कर का निर्धारण सम्पत्ति के वर्गीकरण के अनुसार निम्न सूत्रों के आधार पर किया जावेगा :—

➢ आवासीय इकाई पर कर निर्धारण:—

$$\frac{\text{भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज में)} \times \text{क्षेत्र की आवासीय डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)}}{2000}$$

➢ बहुमंजिला भवनों में फ्लेट हेतु कर की गणना तलक्षेत्र (Built up Area) के आधार पर निम्नानुसार की जावेगी :—

$$\frac{\text{तलक्षेत्र का क्षेत्रफल (वर्गगज में)} \times \text{क्षेत्र की आवासीय डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)}}{2000}$$

➢ संस्थानिक/औद्योगिक इकाई पर कर की गणना:—

$$\frac{\text{भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (जो भी अधिक हो) का क्षेत्रफल (वर्गगज में)} \times \text{क्षेत्र की संस्थानिक/औद्योगिक डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)}}{2000}$$

➢ व्यावसायिक इकाई पर कर निर्धारण :—

$$\frac{\text{भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (जो भी अधिक हो) का क्षेत्रफल (वर्गगज में)} \times \text{क्षेत्र की व्यावसायिक डीएलसी दर (प्रति वर्गमीटर)}}{2000}$$

➢ यह कर भूमि/निर्मित क्षेत्र के आधार पर तथा वार्षिक आधार पर इकाई आधार पर देय होगा।
➢ कर का निर्धारण सम्बन्धित क्षेत्र की डीएलसी दरों के आधार पर किया जावेगा।
➢ जिस क्षेत्र की औद्योगिक डीएलसी दरें तय नहीं हैं, उन क्षेत्रों के लिए निकटतम क्षेत्र की औद्योगिक दरें प्रभावी रहेंगी।
➢ करदाता द्वारा स्वयं कर का निर्धारण किया जा सकेगा।
➢ कर का निर्धारण सम्पत्ति के वास्तविक उपयोग के आधार पर किया जावेगा।
➢ कर का दायित्व स्वामित्व एवम् अधिवास के आधार पर होगा।
➢ स्वतन्त्र आवास में कर का निर्धारण भूमि के क्षेत्र के आधार पर किया जावेगा।
➢ फ्लेट पर कर का निर्धारण निर्मित क्षेत्र (Built up Area वर्गगजों में) के आधार पर किया जावेगा।
➢ विभाजित सम्पत्तियों का कर निर्धारण उनके स्वामित्व के हिस्से को फ्लेट मानकर किया जावेगा।

Scanned with CamScanner

- वाणिज्यिक/औद्योगिक/संस्थानिक परिसरों में भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र (गजों में), जो भी अधिक हों, के आधार पर कर की गणना की जावेगी।
- ऐसे वाणिज्यिक/औद्योगिक परिसर जहां एक से अधिक स्वामित्व की सम्पत्तियां हों, उनके निर्मित क्षेत्र (Built up Area वर्गगजों में) के आधार पर कर की गणना की जावेगी।
- 100 वर्गगज से अधिक के व्यावसायिक भू-खण्डों पर भिन्न-भिन्न स्वामित्व के निर्मित क्षेत्र (Built up Area) के आधार पर पृथक्-पृथक् कर निर्धारण किया जावेगा।
- 300 वर्गगज क्षेत्र से अधिक की औद्योगिक उपयोग की सम्पत्तियों पर भिन्न-भिन्न स्वामित्व के निर्मित क्षेत्र (Built up Area) के आधार पर पृथक्-पृथक् कर निर्धारण किया जावेगा।
- बजट होटल, 1, 2 व 3 स्टार होटलों तथा गेस्ट हाउसों पर औद्योगिक दरें प्रभावी होंगी।
- केन्द्र सरकार की व्यावसायिक उपयोग में आ रही सम्पत्तियों पर भी कर लागू होगा।
- यह कर समस्त निजी स्वामित्व की सम्पत्तियों, सार्वजनिक उपक्रमों, मण्डलों, निगमों इत्यादि पर लागू होगा।

जयपुर, अगस्त 29, 2007

संख्या प.8(ग)(327)नियम/स्वाशा/1995/5944:–राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम संख्या 38) की धारा 107 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह मत रखते हुए कि ऐसा करने के लिए समुचित कारण विद्यमान हैं, एतद्द्वारा राजस्थान राज्य के समस्त नगर निगमों, नगर परिषदों एवम् नगरपालिका क्षेत्रों मे स्थित निम्न प्रकार की भूमि अथवा निर्मित क्षेत्र/तल क्षेत्रों को तुरन्त प्रभाव से उक्त अधिनियम की धारा 104 की उप-धारा (1) के खण्ड (1) के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात :–

- 300 वर्गगज तक के समस्त स्वतन्त्र आवास एवम् उस पर बने फ्लेट;
- 300 वर्गगज तक के संस्थानिक व औद्योगिक परिसर;
- 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्र की भूमि पर बने 1500 वर्गफीट (Built Up Area) तक के आवासीय फ्लेट;
- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 107 में छूट प्राप्त सम्पत्तियां;
- केवल धार्मिक (पूजा, अर्चना एवम् प्रार्थना आदि के) उपयोग की समस्त सार्वजनिक सम्पत्तियां (वाणिज्यिक उपयोग सहित) ।
- चेरिटेबल ट्रस्ट की समस्त सम्पत्तियां (वाणिज्यिक उपयोग सहित)।
- राज्य सरकार के विशेष आदेश द्वारा कर मुक्त की गई शैक्षणिक संस्थायें।
- 100 वर्गगज तक व्यावसायिक भू-खण्ड जिनमें 900 वर्गफीट तक (Built Up Area) निर्माण हो; परन्तु 900 वर्गफीट से अधिक निर्मित क्षेत्र होने पर समस्त क्षेत्र पर कर देय होगा।

आज्ञा से,
ओ. पी. हर्ष,
उप शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।